FC/HPB/06/56/2022





भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/

Sub-Office, Shimla of Regional Office, Chandigarh पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

Ministry of Environment, Forest and Climate Change सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, शिवालिक खण्ड, लौंगवुड

CGO Complex, Shivalik Khand, Longwood शिमला, हिमाचल प्रदेश-171001

Shimla, Himachal Pradesh - 171001





मिसिल संख्या:- FC/HPB/06/56/2022.

दिनांक. .12.2023

सेवा में.

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) हिमाचल प्रदेश सरकार आमर्सडेल बिल्डिंग, शिमला।

(E-mail: forestsecy-hp@nic.in)

विषय

Diversion of 1.2359 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of road from Jangeshu to Oda via Bhanet Kms 0/00 to 3/500, within the jurisdiction of Kunihar & Solan Forest Division Distt. Sonal H.P. (Online Proposal No.-FP/HP/ROAD/148549/2021)

सन्दर्भः

नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.) का पोर्टल पर अपलोड किया गया पत्र 48-4077/2010 (एफ.सी.ए.) दिनांक 18.11.2023.

महोदया/महोदय.

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त प्रस्ताव की और दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमित मांगी गई है | इस प्रस्ताव में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 15.09.2022 द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी अनुपालना रिपोर्ट अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक व नोडल अधिकारी के पत्र 48-4077/2010 (एफ.सी.ए.) दिनांक 18.11.2023 (ऑनलाइन पोर्टल) द्वारा प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 1.2359 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग हेतु विधिवत स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है:-

- वन भूमि की विधिक स्थिति बदली नहीं जाएगी ।
- ii. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
- iii. काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या (281Trees) किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुचांया जाएगा।
- iv. राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 2.4718 हैo वन क्षेत्र Survey No. 53B/13, RF-54 Karan Dev C-I, Parwanoo Forest Range, Solan Forest Division, Distt. Solan, H.P पर सीए किया जाएगा और दन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें।
- प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए ।
- vi. CEO, State CAMPA, इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित सीए योजना के अनुसार CA वृक्षारोपण के लिए DFO को CAMPA Scheme के तहत धनराशि जारी करना सुनिश्चित करेगें।
- vii. DFO अनुमोदित CA Sites पर वृक्षारोपण करना सुनिश्चित करेगें और MoEF&CC की अनुमित प्राप्त किए बिना अनुमोदित को नहीं बदलेगें।
- viii. राज्य सरकार प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि को गैर वानिकी कार्यो के लिए हस्तानान्तरण से पूर्व स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण (CA) क्षेत्र की KML फाइल को भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के E-Green Watch पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगी ।

FC/HPB/06/56/2022

- 1/60057/2023 ix. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा ।
 - माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार जब कभी भी NPV की राशि बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित क्रेंगे |
 - इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमित प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमित भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी | इस अनुमोदन के तहत Diversion की अविध प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली Lease की अविध या परियोजना की अविध जो भी कम हो के सह-समाप्ति होगी | वन मंडल अधिकारी यह लिखित आश्वाशन (undertaking) देंगे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेचछानुसार नहीं xi.
 - xii.
 - xiii. नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह लिखित आश्वाशन (undertaking) देंगे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मंडल अधिकारी को उपलब्ध
 - एफ.आर.ए., 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित xiv. किया जाएगा।
 - संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज तथा गति-अवरोधक लगाए जाएंगे। XV.
 - प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आईआरसीं मानदंडों के अनुसार सड़के के दोनों किनारों जहां-जहां सम्भव हो अपने व्यय पर xvi. वन विभाग की देख-रेख में Strip plantation की जाएगी।
 - xvii. साथ लगते वन और वनभूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वनभूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे |
 - वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। xviii.
 - स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वनभूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमित के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा | xix.
 - केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव के लेआउट प्लान को बदला नहीं जायेगा | XX.
 - परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया xxi. जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।
 - अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेत् समय समय xxii. पर लगाई जा सकती है।
 - यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी। xxiii.
 - xxiv. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होंगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायुं परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।
 - यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेशआदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो XXV. उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।
 - 2. मत्रालय इस स्वाकृति का स्थानतारक पर राजना ए ... र है । राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी। मंत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्व कर सुकता है यदि उपरोक्त श्र्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी की जा रही है |

भवदीय,

ह o/-

(राजाराम सिंह) उप-वन महानिरीक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषितः

- 1. अपर वन महानिदेशक (एफ.सी.), पर्यावरण, वन और जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली (E-mail: <u>adgfc-mef@nic.in</u>).
- 2. वन महानिरीक्षक (आर.ओ.एच.क्यू.), पर्यावरण, वन और जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली। (E-mail: rohg-mefcc@gov.in).

- FC/HPB/06/56/2022 3. नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.), हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग, टालैंड, शिमला (E-mail: <u>nodalfcahp@yahoo.com</u>). 1/60057/2023
 - 4. हिमाचल प्रदेश लोक कार्य विभाग (E-mail: ee-kas-hp@nic.in)